प्रेषक,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

संख्या– 758 / प्र0क0–2 / 2021–22 लखनऊः दिनांक 22 अक्टूबर,2021

विषयः– लॉकडाउन में बंद चल रहे सिनेमा व्यवसाय को राहत प्रदान किये जाने हेतु लाइसेंस शुल्क में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 232 / 11–6–2021–एम(06) / 2020 दिनांक 29.09.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से यह निर्देश दिये गये है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त ऐसे सिनेमा स्वामियों जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में क्रमशः दिनांक–01.04.2020 से 30.09.2020 तक एवं दिनांक 01.05.2020 से 30.06. 2021 तक की अवधि का देय लाइसेंस शुल्क, शासनादेश संख्या–357 / 11–6–2020–एम(06) / 2020 दिनांक 15.10.2020 एवं शासनादेश संख्या–176 / 11–6–2021–एम(06) / 2020 दिनांक 19.07.2021 द्वारा छूट प्रदान करने से पूर्व ही राजकोष में जमा कर दिया है, को वर्णित शासनादेशों के उद्देश्य के पूर्ति हेतु उक्त शुल्क (धनराशि) को अग्रेतर अवधियों हेतु देय लाइसेंस शुल्क मे समायोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया उक्त शासनादेश दिनांक 29.09.2021 की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(सुधा वर्मा)
एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

संख्या / तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः–1. ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0) को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

2. समस्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी / निरीक्षक(प्रभारी मनोरंजन से सम्बन्धित कार्य) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

22/10/2021
(सुधा वर्मा)
एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

संख्या– 232/11–6–2021–एम (06)/2020

प्रेषक,

सर्वज्ञ राम मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उ0प्र0,
लखनऊ।

लखनऊः दिनांक 29 सितम्बर, 2021

राज्य कर अनुभाग–6

विषयः–लॉकडाउन में बंद चल रहे सिनेमा व्यवसाय को राहत प्रदान किये जाने हेतु लाइसेंस शुल्क में छूट प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–429/प्र0क0–2/2021–22 दिनांक 17.08.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त ऐसे सिनेमा स्वामियों जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में क्रमशः दिनांक–01.04.2020 से 30.09.2020 तक एवं दिनांक 01.05.2021 से 30.06.2021 तक की अवधि का देय लाइसेंस शुल्क, शासनादेश संख्या–357/11–6–2020–एम(06)/2020 दिनांक 15.10.2020 एवं शासनादेश संख्या–176/11–6–2021–एम(06)/ 2020 दिनांक 19.07.2021 द्वारा छूट प्रदान करने से पूर्व ही राजकोष में जमा कर दिया है, को वर्णित शासनादेशों के उद्देश्य के पूर्ति हेतु उक्त शुल्क (धनराशि) को अग्रेतर अवधियों हेतु देय लाइसेंस शुल्क में समायोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया तद्नुसार अपने स्तर से कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सर्वज्ञ राम मिश्र)
विशेष सचिव।